

प्रति,

वनमंडलाधिकारी,

रायगढ़ वनमंडल (गोमर्डा वन्यप्राणी अभ्यारण्य),

सायगढ़ (छ.ग.)

विषय :- **Division of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 proposed for Jio Digital Fibre Private Ltd. Raipur Laying of Optical Fibre Cable (OFC) line in Gomarda Wild Life Sanctuary, Raigarh District of Chhattisgarh State, Area-0.785 ha.**

ऑनलाईन पंजीयन क्रमांक FP/CG/OFC/139634/2021 Date 19.01.2022

संदर्भ :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) का पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/एल.एम.-115-912A/65 रायपूर दिनांक 19.01.2022

विषयांतर्गत जियो डिजीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड, रायपुर द्वारा रायगढ़ जिले के गोमर्डा वन्यप्राणी अभ्यारण्य क्षेत्रांतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत नियमानुसार आवेदन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) कार्यालय को किया गया, जिस पर उनके द्वारा प्रस्ताव पंजीकृत कर प्रस्ताव क्रमांक FP/CG/OFC/139634/2021 किया जाकर ऑनलाईन फार्म "ए" की हस्ताक्षरित प्रति मय संलग्न मूल अभिलेख, डिमांड ड्राफ्ट के साथ वनमंडल कार्यालय जमा करने के निर्देश उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से दिया गया है।

संदर्भित पत्र के परिपालन में शासन द्वारा निर्धारित 21 बिन्दुओं चेक लिस्ट में प्रस्ताव ऑनलाईन फार्म "ए" की हस्ताक्षरित प्रति सहित तैयार कर, पंजीयन शुल्क 6000/- रुपये (छिमांड ड्राफ्ट क्रमांक 226828 दिनांक 10.11.2021) एवं प्रक्रिया शुल्क रुपये 29000/- (छिमांड ड्राफ्ट क्रमांक 226829 दिनांक 10.11.2021) कुल 35000/- संलग्न कर वनभूमि व्यपवर्तन प्रस्ताव हेतु 21 बिन्दुओं की बिन्दुवार विवरण एवं संक्षिप्त टीप निम्नानुसार

बिन्दु क्रमांक - 1 आवेदक विभाग का मांग पत्र। (प्रस्ताव पृष्ठ क्रमांक 1)

जियो डिजीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड, रायपुर द्वारा रायगढ़ जिले के गोमर्डा वन्यप्राणी अभ्यारण्य क्षेत्रांतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु 0.785 हे. वनभूमि गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत मांग पत्र प्रस्तुत किया गया है। (मांग पत्र संलग्न)

विन्तु क्रमांक — 2 प्रपत्र 1 में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक) (प्रस्ताव पृष्ठ क्रमांक 2 से 10 तक)

— प्रस्ताव का रजिस्ट्रेशन नं. FP/CG/OFC/139634/2021